

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

संख्या-1792/रा0नि0आ0अनु0-2/738/2007

देहरादून: दिनांक: 20 सितम्बर, 2008

जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन के पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्या 777/XII(1)/08/95(01)/2004 दिनांक 19 सितम्बर, 2008 के क्रम में जनपद हरिद्वार में प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों (जो कि किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों) पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार में प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायें।:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29.09.2008 एवं 30.09.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से अपराह्न 1600 बजे तक)	01.10.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03.10.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से अपराह्न 1600 बजे तक)	04.10.2008 (पूर्वाह्न 1000 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.10.2008 (पूर्वाह्न 0700 बजे से अपराह्न 1700 बजे तक)	22.10.2008 (पूर्वाह्न 0800 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्रमशः.....2

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार अपने जिले की ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 22.09.2008 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) तथा उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य एवं सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

ह0.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1792(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/738/2007 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
13. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

क्रमशः....3

14. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
16. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10(दस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं मुद्रित होंगी।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

ह0.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।